संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर (छ0ग0)

ब्लाक –1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) पिन– 492002

दूरभाष कं–2253808–फैक्स नं.–2254234 e-mail-lfacg.cg@nic.in web site- www.lfa.cg.nic.in

विभागीय जानकारी

01. विभाग का गठन :–

छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा स्थानीय निधि सपंरीक्षा अधिनियम, 1973, स्थानीय निधि सपंरीक्षा नियम, 1974 एवं विभागीय नियमावली 2004 के प्रावधानों के तहत पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय नगरीय निकायों, कृषि उपज मण्डी समितियों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य विविध संस्थाओं के संवैधानिक अंकेक्षण का कार्य किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबंध या नियंत्रण के अधीन स्थानीय निधियों के लिए तथा कतिपय अन्य निगमित तथा अनिगमित निकायों की निधियों के लिए उपबंध करने और उप स्थानीय निधियों तथा निधियों के संपरीक्षा का विनियमन करने हेतु छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि सपंरीक्षा अधिनियम, 1973 पारित किया गया।

02. स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग का प्रशासकीय विवरणः–

अंकेक्षणाधीन स्थानीय निकायों के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु संचालनालय सहित 6 क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, अम्बिकापुर एवं रायगढ़ में कार्यरत हैं। स्थानीय निधि संपरीक्षा में 376 पद स्वीकृत हैं –

संचालक	01
अतिरिक्त संचालक	01
संयुक्त संचालक	02
उपसंचालक	07
सहायक संचालक	24
ज्येष्ठ संपरीक्षक	83
सहायक संपरीक्षक	165
अन्य स्टॉफ	93
योग–	376

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.08.2016 की स्थिति में कार्यरत स्टाफ की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	–
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	–
3	संयुक्त संचालक	02	02	0	–
4	उप संचालक	07	06	01	–
5	सहायक संचालक	24	15	9	–
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	83	68	15	–
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	–
8	अधीक्षक	01	0	01	–
9	मुख्य लिपिक	02	01	01	–
10	सहायक अधीक्षक	01	01	0	–
11	सहायक ग्रेड 1	01	01	0	छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ।
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	–
13	सहायक संपरीक्षक	165	112	53	–
14	लेखापाल	01	0	01	–
15	सहायक ग्रेड 2	13	13	0	–
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	9	01	08	–
17	सहायक ग्रेड 3	23	18	05	08 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।
18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	–
19	वाहन चालक	05	05	0	04 पदों पर संविदा से एवं 01 पद पर कर्मचारी कलेक्टर दर पर कार्यरत हैं।
20	भृत्य	23	16	07	–
21	चौकीदार (अस्थाई)	07	07	0	01 पद पर चौकीदार कार्यभारित आकस्मिकता एवं 06 पदों पर चौकीदार आकस्मिकता (कलेक्टर दर) पर कार्यरत हैं।
योग		376	267	109	..

03 विभाग की संरचना :–

स्थानीय निकायों के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु विभाग में संचालनालय सहित 6 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर (छ0ग0) ब्लाक –1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) पिन– 492002 दूरभाष कं–2253808–फैक्स नं.–2254234 e-mail-lfacg.cg@nic.in web site- www.lfa.cg.nic.in		
विभाग का प्रधान कार्यालय क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़		
कार्यालय में पदस्थ अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1. श्री जे.पी. पाठक, आई.ए.एस. संचालक, (विभागाध्यक्ष) 2. श्री बी.एस.भगत, संयुक्त संचालक, 3. डॉ. आशीष मिश्रा, संयुक्त संचालक, 4. श्री शैलेन्द्र बंशपाल, उप संचालक, 5. सुश्री भारती सिंह राजपूत, सहायक संचालक 6. श्री अविनाश तिवारी, सहायक संचालक	सुश्री भारती सिंह राजपूत, सहायक संचालक सूचना सहायक श्री एस.तिग्गा, सहायक संपरीक्षक	श्री बी.एस.भगत, संयुक्त संचालक

क्षेत्रीय कार्यालयों की जानकारी :–

कार्यालय उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ0ग0) नत्थानी भवन, मंत्रालय के सामने,लक्ष्मी मेडिकल के ऊपर, दूरभाष कं–0771–2229657		
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर–क्षेत्राधिकार जिला–रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, गरियाबंद		
क्षेत्रीय उप संचालक का नाम	जन सूचना अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री एस.एस. ताण्डेय, उप संचालक	श्री एस.एस. ताण्डेय, उप संचालक	–

कार्यालय उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, बिलासपुर (छ0ग0) द्वितीय तल, न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर, दूरभाष कं–07752–250095		
क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर क्षेत्राधिकार जिला–बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली		
क्षेत्रीय उप संचालक का नाम	जन सूचना अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री पीयूष प्रसाद, उप संचालक	श्री पीयूष प्रसाद, उप संचालक	–

कार्यालय उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा राजनांदगांव (छ0ग0) (160/39 होटल सूरज के बाजू में, स्टेडियम रोड, कौरिन भाठा, बसंतपुर) दूरभाष कं–07744–228420		
क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव क्षेत्राधिकार जिला–राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा		
क्षेत्रीय उप संचालक का नाम	जन सूचना अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री गिरीश कुमार पुर्रे, उप संचालक	श्री गिरीश कुमार पुर्रे, उप संचालक	–

कार्यालय उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायगढ़ (छ0ग0) केलो नदी के किनारे, मैरिन ड्राइव, शिल्प ग्राम के पास दूरभाष कं–07762–222581		
क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा क्षेत्राधिकार जिला–कोरबा, रायगढ़, जशपुर नगर,		
क्षेत्रीय उप संचालक का नाम	जन सूचना अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री सी.आर. देवहारे, उप संचालक	श्री सी.आर. देवहारे, उप संचालक	–

कार्यालय उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा अम्बिकापुर (छ0ग0) चौपाटी के सामने, चोपड़ा पारा, अम्बिकापुर दूरभाष कं–07774–223352		
क्षेत्रीय कार्यालय कोरिया–क्षेत्राधिकार जिला–कोरिया, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर		
क्षेत्रीय उप संचालक का नाम	जन सूचना अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री सी.आर. देवहारे, उप संचालक	श्री विनय ठाकुर, सहायक संचालक	–

कार्यालय आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा जगदलपुर (छ0ग0) (मिलन होटल के सामने, स्टेट बैंक चौक, बालाजी वार्ड) दूरभाष कं–07782–223290		
क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर क्षेत्राधिकार जिला–जगदलपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर		
क्षेत्रीय उप संचालक का नाम	जन सूचना अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री सी.पी. शर्मा, उप संचालक	श्री सी.पी. शर्मा, उप संचालक	–

04. विभाग में प्रचलित अधिनियम एवं नियम :–

1. छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) एवं
2. छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम 1974 सहपठित
3. विभागीय नियमावली 2004(2)

05. अधिनियम में सम्परीक्षा के प्रकार :–

अ. विस्तृत संपरीक्षा, Detailed Audit
ब. स्थानिक संपरीक्षा, Resident Audit
स. विशेष संपरीक्षा, Special Audit
द. अन्य संपरीक्षा (यथा समवर्ती) जो राज्य सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें

(टीप –राज्य शासन के आदेश क्रमांक/एफ–1–ए–1/2002/स्था/चार/655 रायपुर दिनांक 26.04.2008 से वर्तमान में स्थानिक संपरीक्षा स्थगित है।)

06. संपरीक्षाधीन स्थानीय निकायों की सूची :–

अ. अधिनियम 1973 की अनुसूची धारा 4 (एक)

1. समस्त नगर पालिक निगम,
2. समस्त नगर पालिका परिषद,
3. समस्त नगर पंचायतें,
4. समस्त जिला पंचायतें,
5. समस्त जनपद पंचायतें,
6. समस्त ग्राम पंचायतें,
7. समस्त कृषि उपज मंडी समिति,
8. समस्त प्राधिकारी जो स्थानीय निधि के नियंत्रण व प्रबंधन के लिए विधिक रूप से हकदार हो,

(1) All Municipal Corporations.
(2) All Municipal Councils.
(3) All Nagar Panchayats.
(4) All Zila Panchayats.
(5) All Janpad Panchayats.
(6) All Gram Panchayats.
(7) All Market Committees constituted under the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (24 of 1973).
(8) All Authorities Legally entitled to, or entrusted by the State Govt. with the control or management of a Municipal Local Fund.

आ. अधिनियम 1973 की अनुसूची धारा 21 (3)

(क.) राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित की गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय तथा उसके संगठक महाविद्यालय :–

1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
2. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर,
3. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़,
4. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
5. पं. सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
6. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई ,
7. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर ,
8. छ.ग. राज्य स्थित म.प्र. भोज (मुक्त) वि.वि. भोपाल के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष (विलोपित)
9. छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर,
10. हिदायतुल्ला नेशनल विधि विश्वविद्यालय, रायपुर,
11. सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर ,
12. छ.ग. आयुष विश्वविद्यालय ,रायपुर ,
13. छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग
14. बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर
15. दुर्ग विश्वविद्यालय, जिला–दुर्ग

Universities established by or under any law enacted by the state Legislature and their constituent colleges: -

- *Pt. Ravishankar University, Raipur.*
- *The Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidhyalaya, Raipur.*
- *The Indira Kala Sangeet Vishwa Vidhyalaya, Khairagarh.*
- *Bastar University, Jagdalpur.*
- *Pt. Sundar lal sharma open university, Bilaspur.*
- *Swami Vivekanand Technical University, Bhilai,*
- *Kushabhau Thakre Journalism and moss communication University, Raipur.*
- *C.G. State M.P. Bhoj University Bhopal under regional centre superientendent . (deleted)*
- *C.G. Professional Examination Board, Raipur,*
- *Hidaytulla National Law University, Raipur.*
- *Sarguja University Ambikapur.*
- *C.G. Aayush University, Raipur.*
- *Chhattisgarh Kamdhenu University, Anjora, Durg.*
- *Bilaspur University, Bilaspur .*
- *Durg University, Durg*

(ख.) छत्तीसगढ़ बोर्ड/निगमः–

1. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
2. बोर्ड ऑफ होमियोपैथिक एवं बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसीन छत्तीसगढ़,
3. छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीन समस्त समितियां ,
4. छ.ग. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर,

Chhattisgarh Boards/Corporation : -

- The Chhattisgarh Board of Secondary Education, Raipur.
- The Board of Homeopathic and Bio-Chemic System of Medicine, Chhattisgarh.
- The Rajya Vidhik Sewa Pradhikaran and all Sub-ordinate Committes.
- C.G. Ayurvedic and Unani chikitsa paddhati and prakritik chikitsa Board Raipur.

(ग.) न्यास निधियां :–

1. दुधादारी वैष्णव न्यास निधि, संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर,
2. राय बहादुर जगन्नाथ राव दानी ट्रस्ट फण्ड, रायपुर,
3. राय साहेब जगन्नाथ तिवारी ट्रस्ट फण्ड, रायपुर,
4. राजगामी संपदा निधि, राजनांदगांव,
5. रानी सूर्यमुखी देवी गोल बाजार ट्रस्ट फण्ड, राजनांदगांव,
6. माफी टेम्पल ट्रस्ट, जगदलपुर,
7. बोर्ड ऑफ वाइस भरतचंद भंजदेव,
8. माफी टेम्पल ट्रस्ट स्टेट, दंतेवाड़ा,
9. मां सिंहवाहिनी मंदिर ट्रस्ट, कांकेर (बस्तर)

Trust Funds: -

- The Dudha Dhari Vaishnav Nyas-Nidhi Sanskrit Mahavidhyalaya, Raipur.
- The Raya Bahadur Jagannath Rao Dani Trust Fund, Raipur.
- The Rao Saheb Jagannath Tiwari Trust Fund, Raipur.
- The Rajgami Sampada Nidhi, Rajnandgaon.
- The Rani Surya Mukhi Devi Golbazar Trust Fund, Rajnandgaon.
- The Mafi Temple Trust, Jagdalpur.
- The Board of Vice Bharat Chand Bhanj deo Trust Fund, Jagdalpur.
- Mafi Temple Trust State, Dantewada.
- Maa Singha Vahini Mandir Trust, Kanker (Bastar).

(घ.) राज्य सरकार की सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली समस्त गैर सरकारी, शैक्षणिक तथा तकनीकी संस्थाए –

All Non Government Educational and Technical Institutions Receiving Grants - in - Aid from the State Government .

(ङ.) अन्य संस्थाएं :–

1. अशासकीय पालीटेक्निक्स
2. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर
3. मुख्य मंत्री सहायता कोष के लेखे
4. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ में स्थापित पेंशन फण्ड
5. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ में टेक्निकल फण्ड
6. रोगी कल्याण समिति (जीवन दीप समिति)
7. जिला शहरी विकास अधिकरण एवं रायपुर विकास प्राधिकरण
8. नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
9. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल,
10. छ.ग. राज्य सड़क विकास अभिकरण (पी.एम.जी.एस.वाय.)
11. छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर
12. छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर
13. रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर
14. महात्मा गांधी नरेगा
15. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

Other Bodies: -

- *Private Poly technics.*
- *Chhattisgarh Agriculture Marketing (Mandi) Board, Raipur.*
- *Accounts of Chief Minister Relief Fund.*
- *Pension Fund established in the office of the Director Urdan administration and development , Raipur.*
- *Technical Fund established in the office of the Director Urdan administration and development, Raipur.*
- *Rogi Kalyan samiti. (Jeevan Deep Samiti)*
- *District Urban Development Agency and Raipur Development Authority.*
- *Naya Raipur Development Authority, Raipur.*
- *Chhattisgarh Labour Walefare Board,*
- *Chhattisgarh State Road Development Authority (PMGSY)*
- *Chhattisgarh State Hindi Granth Academy, Raipur*
- *Chhattisgarh Text Book Corporation, Raipur*
- *Raipur Development Authority Raipur,*
- *Bank Rin Vasuli Protsahan Yojna (Brisc) (Praposal to add)*
- *MGNREGA*
- *BRGF*

The number of audittee units can vary. Any new unit can added by gazette notification. At present there are 10971 auditee units under LFA.

टीप– अंकेक्षणाधीन निकायों के अधिनियम/नियम उनके वेबसाईट पर देखे जा सकते हैं।

07. स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग का कार्य एवं कर्तव्य :–

अ. मुख्य कार्य :–

स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 4(1) एवं 21(3) के अन्तर्गत अधिसूचित समस्त स्थानीय निकायों का अंकेक्षण कार्य संपादित करना।

ऐसे समस्त स्थानीय प्राधिकारियों तथा निगमित और गैर निगमित निकायों के लेखाओं के अंकेक्षण के अतिरिक्त इस विभाग के द्वारा राज्य शासन के वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति पर ऐसी किसी भी अन्य संस्थाओं के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है, जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विशेष रूप से सौंपी गई हो।

अंकेक्षण उपरांत स्थानीय एवं स्वायत्तशासी निकायों पर अंकेक्षण शुल्क आरोपित कर अंकेक्षण शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना।

अंकेक्षण पश्चात्, समक्ष में आयी वित्तीय अनियमितताओं को संकलित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासनिक विभागों की ओर प्रेषित करना।

प्रभक्षण, वित्तीय कदाचार आदि के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष प्रतिवेदन तैयार कर निकाय एवं उनके प्रशासनिक विभाग की ओर प्रेषित करना।

अंकेक्षण के दौरान संबंधित निकायों में वित्तीय नियमों के पारिपालन के संबंध में मार्गदर्शन देना।

स्थानीय निकायों के समस्त वित्तीय संव्यवहारों के औचित्य अंकेक्षण के साथ ही इन निकायों द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यक्रमों, परियोजनाओं आदि का दक्षता सह निपष्पादन के आधार पर मूल्यांकन करना।

स्थानीय निकायों के प्राधिकारियो/अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा किये जाने के फलस्वरूप निकाय की निधि से हुए दुर्व्यय या दुरूपयोजन की पूर्ति संबंधित प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किये जाने हेतु स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10, 11, 12 एवं 13 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करना।

ब. विभाग द्वारा महत्वपूर्ण अधिभार प्रकरणों में निर्णय की प्रक्रिया :–

अधिभार– संपरीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से किन्तु उसके बाद तीन माह से अधिक नहीं, संचालक/क्षेत्रीय उप संचालक उन लेखाओं के संबंध में, जिनकी कि संपरीक्षा तथा परीक्षा की गई हो, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी प्रतिलिपियां शासन के संबंधित विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को भेजेगा।

प्रतिवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी अनियमितताओं को छांटेगा तथा उन पर विचार करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी का एक विशेष सम्मेलन बुलाएगा तथा उस विशेष सम्मेलन में विचार कर लिए जाने के पश्चात् तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के 4 मास के भीतर संचालक को इस बात की प्रज्ञापना भेजेगा कि उस रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियाँ या अनियमितताएं दूर कर दी गई है अथवा आवश्यक स्पष्टीकरण देगा।

यदि संचालक, स्थानीय निधि सपंरीक्षा का यह मत है कि रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियाँ या अनियमितताएं हटाई या दूर नहीं की गई हैं तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी ऐसी प्रज्ञापना या दिये गए स्पष्टीकरण के अपने द्वारा प्राप्त किए जाने पर या विहित की गई कालावधि का अवसान होने पर या उस दशा में जबकि स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी ऐसी प्रज्ञापना या स्पष्टीकरण देने से चूक गया हो, चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर यथा शीघ्र किंतु रिपोर्ट प्राप्त होने के अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर अभिकथित अपचारी व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप उस धनाराशि का जिससे कि त्रुटियाँ या अनियमितताएं संबंधित है, वर्णन करते हुए विरचित करेगा और उक्त आरोपों की प्रतिलिपि राज्य सरकार को स्पष्टीकरण मांगने हेतु संचालक संबंधित व्यक्ति को सूचना की तामील कर सकेगा। सूचनाएँ उन व्यक्तियों को जिन पर उसकी सूचना तामील की जानी है, राजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी या जहां उनका पता अभिनिश्चित न किया जा सकता हो, वहां उसे तामील कराने हेतु कलेक्टर को भेजा जाएगा जो उसकी तामीली या तो उसकी एक प्रति प्रदान करके या परिदत्त करके करवायेगा या यदि तामीली इस रीति से न की जा सकती हो तो उस व्यक्ति के जिस पर कि वह तामील की जाती हो, अंतिम ज्ञात स्थान पर उसकी एक प्रति चस्पा करवायेगा।

यदि यथा स्थिति स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी का कार्यपालिक अधिकारी कार्यवाही नहीं करता है तो इस बात के लिए दायी हो जाएगा कि उसके विरूद्ध आरोप विरचित किए जाएं, तथा संचालक चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर अभिकथित अपचारी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप विरचित करने के साथ–साथ यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध भी आरोप विरचित कर सकेगा।

यदि प्रतिकूल हेतुक दर्शित करने का संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संचालक को यह समाधान हो जाए कि स्थानीय प्राधिकारी के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन अपचारी व्यक्ति द्वारा किए गये अपचार या उसके द्वारा की गई घोर उपेक्षा के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुआ है या यह समाधान हो जाए कि उक्त व्यक्ति अवैध संदाय के किए जाने में या अवैध संदाय के किये जाने का प्राधिकार प्रदान करने में एक पक्षकार है तो संचालक लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश देगा कि वह संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व ब्याज सहित ऐसी रकम का जैसी कि उस स्थानीय प्राधिकारी की उसके धन संपत्ति की ऐसी हानि, दुरूपयोजन के लिए प्रतिपूर्ति करने हेतु न्यायसंगत तथा साम्यिक पाई जाए भुगतान कर दें। अधिभार प्रकरणों के अंतिम निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों को निम्नानुसार शक्तियां प्रदत्त की गई है –

1. सहायक संचालक	अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि 10000.00 तक वेष्टित हो का अंतिम निराकरण
2. उप संचालक	अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि 10001.00 से 50000.00 तक वेष्टित हो का अंतिम निराकरण
3. संयुक्त संचालक	अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि 50001.00 से 100000.00 वेष्टित हो का अंतिम निराकरण
4. संचालक	अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि 100000.00 से अधिक हो प्रकरणों तक का अंतिम निराकरण

08. निगरानी समिति

छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्र. 1213/1348/2008/स्था./चार रायपुर दिनांक–05.08.2008 द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 4 (1), 21 (3) अनुसूची में निगमित या अनिगमित निकायों की संपरीक्षा के अंतर्गत अधिनियम 1973 की धारा 22 (2) (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रभावी अंकेक्षण एवं आपत्ति निराकरण के लिए राज्य स्तरीय स्थानीय संपरीक्षा निगरानी समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है –

1. प्रमुख सचिव, वित्त छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर	*अध्यक्ष*
2. प्रमुख सचिव/वित्त सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर	*सदस्य*
3. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शाासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर	*सदस्य*
4. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शाासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर	*सदस्य*
5. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शाासन नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर	*सदस्य*
6. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शा. पंचायत एवं समाज सेवा विभाग, मंत्रालय रायपुर	*सदस्य*
7. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शाासन कृषि विभाग, मंत्रालय रायपुर	*सदस्य*
8. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शाासन आ.जा.कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर	*सदस्य*
9. संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर	*सदस्य*
10. अतिरिक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर	*सदस्य सचिव*

समिति का कार्य अंकेक्षण आपत्ति, गबन, अधिभार प्रकरणों का निराकरण एवं नियमितीकरण तथा अंकेक्षण शुल्क वसूली करना है। इस हेतु समिति की त्रैमासिक बैठक होगी ।

09. अंकेक्षण शुल्क –

छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग के अधिसूचना क्र. एफ. 1(ए)/2/2003/स्था./चार रायपुर दिनांक–07.12.2004 द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (3), द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा संपरीक्षा शुल्क की निम्न लिखित दरें निर्धारित करती है । यह दरें 01 अप्रैल 2004 से प्रभावशील होगी ।

(क) स्थानीय प्राधिकारी (निगमित एवं अनिगमित) लेखाओं की संपरीक्षा के लिए आय का 0.33 प्रतिशत होगी ।

टीप– संपरीक्षा शुल्क की गणना के लिए निम्नांकित प्राप्तियां आय मद में सम्मिलत नहीं मानी जायेगी –

1. *शासकीय प्रतिभूतियों की बिक्री की रकम एवं बैंक से आहरण ।*
2. *ऋणों की पुनर्भुगतान के लिए डूबन्त निधि की प्राप्ति ।*
3. *निक्षेप कार्यों के लिए वर्ष में प्राप्त धन एवं राज्य लोक निर्माण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों को भुगतान।*
4. *केन्द्र/राज्य शासन से विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राप्त ऐसी कोई धनराशि जो वर्ष में अधिनस्थ या अन्य स्थानीय निकाय/संस्था/व्यक्तियों को वितरित करने के लिए प्राप्त हुई हो, जिसके लिए निकाय ने केवल अभिकरण के रूप में कार्य किया हो ।*
5. *नगर पालिका अधिनियम की धारा 105 (3) के अंतर्गत पब्लिक युटिलिटी स्कीम फंड से आहरण ।*
6. *ऐसी निविदाओं के संबंध में प्राप्त प्रतिभूति जमा धन, जो अनुमोदित नहीं किये गये हों ।*
7. *समायोजन से आय ।*
8. *अग्रिमों की वापसी ।*

(ख) विशेष संपरीक्षा के लिए–

विशेष संपरीक्षा संपादित करने के लिए उपरोक्त सामान्य शर्तों से तीन गुना संपरीक्षा शुल्क देय होगा ।

(ग) अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा के लिए –

1. *जहां छात्रों की संख्या 500 तक हो* — *रूपये 1000.00*
2. *जहां छात्रों की संख्या 500 से अधिक किन्तु 1000 से कम हो* — *रूपये 1500.00*
3. *जहां छात्रों की संख्या 1000 से अधिक हो* — *रूपये 2000.00*

टीप– विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में रक्षित सहकारी निधि (सोसायटी निधि) का अंकेक्षण नहीं किया जायेगा।

(घ) मुख्यमंत्री सहायता कोष, जिला विधिक प्राधिकरण एवं रोगी कल्याण समिति के लेखों की संपरीक्षा के लिए रू. 1.00 (रूपये एक मात्र) प्रतिवर्ष के मान से संपरीक्षा शुल्क देय होगी ।

टीपः– रोगी कल्याण समिति वर्तमान में जीवन दीप समिति के रूप में जानी जाती है ।

10. स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग का कार्यकलाप विवरणः–

(अ) संपरीक्षा शुल्क :–

विगत 10 वर्षों में संचालनालय द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों के लेखाओं के अंकेक्षण कार्य संपादित करते हुए शासकीय राजस्व के रूप में मांग/संपरीक्षा शुल्क भारित किये जाकर अन्य राजस्व

अर्जन करने वाले विभागों की तरह राजस्व संचयन हेतु प्रत्यक्ष योगदान दिया गया । संक्षिप्त आंकड़े करोड़ों में निम्नांकित है :–

वित्तीय वर्ष	संपरीक्षा शुल्क (मांग)	वास्तविक वसूली (करोड़ रू.में)
2005–06	4.45 करोड़	2.16 करोड़
2006–07	4.13 करोड़	3.83 करोड़
2007–08	1.91 करोड़	0.17 करोड़
2008–09	3.35 करोड़	0.11 करोड़
2009–10	2.31 करोड़	0.51 करोड़
2010–11	1.69 करोड़	1.76 करोड़
2011–12	2.71 करोड़	1.17 करोड़
2012–13	2.67 करोड़	1.82 करोड़
2013–14	2.83 करोड़	2.57 करोड़
2014–15	1.99 करोड़	1.52 करोड़
2015–16	3.57 करोड़	1.88 करोड़

(ब) संपादित अंकेक्षण कार्य :–

विगत 10 वर्षों में विभाग द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों के लेखाओं के सफलतापूर्वक अंकेक्षण कार्य संपादित करते हुए स्थानीय प्राधिकारियों को अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रसारित किये गये हैं । विवरण वित्तीय वर्षों के निम्नांकित है :–

वित्तीय वर्ष	संपादित अंकेक्षण कार्य (वित्तीय वर्षों में)	प्रसारित प्रतिवेदनों की संख्या
2005–06	1493	1411
2006–07	1819	1029
2007–08	1965	739
2008–09	4001	1098
2009–10	3765	976
2010–11	2083	746
2011–12	1673	525
2012–13	1726	454
2013–14	1124	496
2014–15	1390	746
2015–16	1385	1156

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं के मार्गदर्शिका/विनियम/अधिनियम में संपरीक्षा, स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराने का उल्लेख है :–

1. राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना
2. छ.ग. पिछड़ा कोष योजना
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

(स) राजस्व संचयन में योगदान :–

विगत 10 वर्षों में विभाग द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों के लेखाओं के अंकेक्षण कार्य सफलतापूर्वक संपादित करते हुत शासकीय राजस्व के रूप में संपरीक्षा शुल्क जमा कराया गया।

(द) अंकेक्षण आपत्तियां :–

विगत 10 वर्षों में विभाग द्वारा स्थानीय निकायों का अंकेक्षण कार्य संपादित कर गबन, अनियमितताएं एवं आपत्तियां उत्थापित की जाकर स्थानीय निकायों के लेखांकन को अद्यतन कराया गया एवं आपत्तियों में सन्निहित राशियों के वसूली कार्यवाही से निकाय निधि को अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुंचाया गया । वित्तीय वर्ष में उत्थापित आपत्तियां एवं उनकी सन्निहित राशियों का विवरण निम्नांकित है:–

वित्तीय वर्ष	संस्थित आपत्ति	निराकृत आपत्ति
2005–06	16829	882
2006–07	12110	1549
2007–08	12932	1226
2008–09	12116	1989
2009–10	15222	867
2010–11	13901	1712
2011–12	11527	1673
2012–13	9933	485
2013–14	12858	4026
2014–15	23626	4961
2015–16	35885	20299

(इ) गबन प्रकरण:–

विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा स्थानीयएवं अन्य स्वायत्तशासी निगमित एवं अनिगमित निकायों का अंकेक्षण कार्य संपादित कर महत्वपूर्ण गबन संबंधी आपत्तियों में सन्निहित राशियों के वसूली कार्यवाही से निकाय निधि को अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुंचाया गया । वित्तीय वर्ष में उत्थापित गबन प्रकरण एवं उनकी सन्निहित राशियों का विवरण निम्नांकित है :–

वित्तीय वर्ष	अवशेष गबन प्रकरण	वर्ष में उत्थापित गबन प्रकरण	सन्निहित राशि
2010–11	1828	113	5,27,58,087.00
2011–12	1933	114	5,89,64,348.00
2012–13	2042	114	7,50,83,215.00
2013–14	2225	122	7,59,30,262.00
2014–15	2225	74	7,97,40,981.00
2015–16	2247	36	73,88,209.00

(ई) अधिभार प्रकरण :–

विगत 10 वर्षों में विभाग द्वारा स्थानीय निकायों का अंकेक्षण कार्य संपादित कर महत्वपूर्ण अनियमितताएं एवं आपत्तियां उत्थापित की जाकर अधिभार योग्य आपत्तियों में अधिभार प्रकरण संस्थित किये जाकर सन्निहित राशियों के वसूली कार्यवाही से निकाय निधि को अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुंचाया गया एवं उत्तरदायियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाहियां संस्थित कर अनियमितताओं को रोकने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया गया। वित्तीय वर्ष में उत्थापित अधिभार प्रकरण एवं उनकी सन्निहित राशियों का विवरण निम्नांकित है :–

वित्तीय वर्ष	अधिभार आरोप पत्र	अधिभार सूचना	अधिभार आदेश	मांग प्रमाण पत्र
2005–06	27	08	00	00
2006–07	31	06	02	01
2007–08	31	05	04	01
2008–09	03	00	01	00
2009–10	03	00	00	00
2010–11	01	01	00	00
2011–12	17	01	01	02
2012–13	44	01	00	00
2013–14	22	06	04	00
2014–15	10	12	04	00
2015–16	9	18	9	00

11. *यूरोपियन कमीशन योजना :–*

EU-SPP के अंतर्गत तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट – e-lfa की उपयोगिता

* निकायों के अकेक्षण में लगने वाले समय की अधिकतम उपयोगिता एवं अंकेक्षित निकायों में प्रकाश में आने वाली लगभग सभी आपत्तियों के मानक तैयार होने से अंकेक्षकों को अंकेक्षण कार्य में सहायता,
* अंकेक्षण आपत्तियों के प्रारूपण में एकरूपता,
* क्षेत्रीय कार्यालय/संचालनालय स्तर पर आपत्तियों का वर्गीकरण संभव होने से राज्य स्तरीय स्थिति प्रस्तुत करने में सुगमता,
* राज्य स्तर पर Data analysis के आधार संबंधित प्रशासकीय विभागों को समय पर सुझाव दिया जाना संभव,
* शासन के उच्च स्तर तक महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त होने से आपत्तियों के निराकरण एवं निकायों में वित्तीय अनुशासन लागू करने में सुगमता,
* Software में संबंधित निकायों के आपत्तियों के अधिकतम इनपुट/आउटपुट फार्मेट होने एवं इसके आधार पर तैयार होने वाले अंकेक्षण प्रतिवेदन से विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले संचालक के वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में सहायता,
* विभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जाने वाली समस्त माहितियों/जानकारियों के संकलन एवं विश्लेषण में सहायता,
* कर्मचारियों/अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि,
* महत्वपूर्ण अभिलेख यथा Audit Reports का digitization होने से अभिलेख संधारण में सरलता।

Monitoring Format Part-I

European Commission-State Partnership Programme
Expenditure Statement-Year-Wise As on 30-06-2015

Department : Director Local Fund Audit, Naya Raipur (Finance Department) Rs. In Lakhs.

Financial Year	Budget Provision in Depart-ments Budget Book	Budget Released By Finance Department during the year.		Expenditure during the Financial year.		Total Expenditure	Remark about likely expenditure
				For which Utilization Certificate Received	For which Utilization Certificate not Received		
1	2	3	4	5	6	7	8
2006-07	109.00	पत्र क्र. 298/221/2007/स्था/चार रायपुर दि.20.3.07	100.00	एल.एफ.ए./ प्रशा 07–08/ 975,976 दिनांक 26.072007	0	90.86854	स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2006.07 में संस्थागत वित्त द्वारा बजट रू. 109.00 लाख आंबंटित किया गया जिसमें से शासन पत्र क्र. 298/221/2007/स्था/ चार रायपुर 20.3.07 द्वारा राशि रू. 100.00 लाख बजट आबंटित एवं व्यय स्वीकृति दी गई जिसमें से रू. 90.86854 लाख व्यय हुआ जिसके उपरांत कुल रू. 18.13146 लाख (विमुक्त राशि रू. 9.13146 + आबंटित बजट राशि रू. 9.00 शेष) बजट शेष रही।
2007-08	80.00		18.13146	0	0	0	1. वर्ष 2007–08 में संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा रू. 80.00 लाख बजट आबंटित किया गया किन्तु उक्त राशि में से शासन द्वारा बजट विमुक्ति नहीं होने से राशि अव्ययित रही। 2. वर्ष 2007–08 में प्रथम चरण का शेष कुल रू. 18.13146 लाख विमुक्त, किन्तु शासन के पत्र क्र. 677/1269/2007/स्था/चार दि. 30.04.2008 द्वारा पुनर्विनियोजन प्रस्ताव के संबंध में असहमति तथा व्यय के स्वीकृति के अभाव में राशि व्यय नहीं किया गया।
2008-09	10.00		78.13	0	0	0	– वर्ष 2008–09 में संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा रू. 10.00 लाख बजट आबंटित किन्तु उक्त राशि से शासन द्वारा बजट आबटित नहीं किया गया । – पूर्व वर्षो के शेष राशि रू. 78.13 लाख विमुक्त किन्तु शासन पत्र क्र. 278/1142/08/स्था/चार/ दिनांक 31.03.2009 द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्ताव भेजने निर्देश दिये जाने से राशि अव्ययित रही ।
2009-10	10.00		-	0	0	0	वर्ष 2009–10 में शासन द्वारा शेष राशि रू. 78.13 लाख आबंटित नहीं

							होने एवं व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में राशि अव्ययित रहीं।
2010-11	78.13	पत्र क 276/405/2011/स्था/चार रायपुर दि. 17.03.11	50.50	एल.एफ.ए./प्रशा/युरो/469 दिनांक 29.4.2011	0	50.49128	वर्ष 2010–11 में पूर्व वर्षो की शेष बजट राशि रू. 78.13 लाख में से शासन द्वारा राशि रू. 50.50 लाख विमुक्त किया गया एवं शासन द्वारा व्यय की स्वीकृति के अनुक्रम में रू. 50.49128 लाख कम्प्यूटर सह उपकरण क्रय में व्यय किया गया एवं प्रशिक्षण मद में राशि रू. 27.63 लाख विमुक्ति नहीं किये जाने से एवं स्वीकृति के अभाव में अव्ययित रही।
2011-12	147.87	पत्र क्र. 162/स्था/चार 2012 रायपुर दि. 13.2.12	147.85872	एल.एफ.ए./प्रशा/युरो/66 दिनांक 17.04.2012 रू. 112.81140	0	112.8114	शन द्वारा राशि रू. क112.8114 लाख विमुक्त करते हुए कम्प्यूटर सह उपकरण क्रय करने की अनुमति दी गई उक्त स्वीकृति के तारतम्य में निम्नानुसार व्यय किया गया :– राशि रू. 87.85083 लाख कम्प्यूटर नोटबुक सह उपकरण क्रय में व्यय। 2. राशि रू. 15.21057 लाख साफ्टवेयर विकास हेतु एन.आई.सी. एस.ई.आर.व्ही. इनकारपोरेटेड नई दिल्ली को भुगतान । 3. राशि रू. 9.75 लाख अधिकारी कर्मचारीगण के प्रशिक्षण में व्यय।
2012-13	70.50	0	0	0	0	0	EC-SPP मद अंतर्गत शेष राशि रू. 35.04732 लाख शासन स्वीकृति के अभाव में अव्ययित है।
2013-14	35.05	पत्र क्र. 110/एल 13–1/2011/वित्त/बजट–4 रायपुर दि. 23.04.13	0	35.05	0	34.80	वर्ष 2013–14 में शासन के पत्र क्र. 110/एल 13–1/2011/वित्त/बजट–4 रायपुर दिनांक 23.04.2013 द्वारा राशि रू. 35.05 लाख बजट विमुक्त किया गया है। विभाग में प्रक्रियाधीन साफ्टवेयर विकास हेतु एन.आई.सी.एस. आई. को 01 सीनियर प्रोग्रामर एवं 04 प्रोग्रामरों का आंशिक अग्रिम पारिश्रमिक राशि रू. 34.80 लाख भुगतान किया गया। EC-SPP योजनान्तर्गत राशि रू. 24878 बजट शेष है।
2014-15	19.39	–	–	–	–	–	स्वीकृत कार्ययोजना की राशि रू. 0.24878 लाख शेष है जो पूर्व कार्ययोजना अन्तर्गत प्रशिक्षण शीर्ष 05–001 में अनुमोदित है।
2015-16	60.00	–	–	–	–	–	DIF द्वारा पत्र क्र. 460/DIF/PMP/2015 दिनांक 26.06.15 द्वारा राशि रू. 7451730.00 का अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया गया है। निक्सी द्वारा प्रदत्त प्रोफार्मा इनवाईस अनुसार राशि रू. 881010.00 मात्र विमुक्त करने हेतु सचिव वित्त विभाग को पत्र क्र. 649 दिनांक 06.07.2015 प्रेषित किया गया है।

Monitoring Format Part-II

European Commission-State Partnership Programme

Expenditure Statement-Tranche-Wise As on 30-06-2015

Department: Director Local Fund Audit, Naya Raipur (Finance Department) Rs. in Lakhs

Tranche	Amount as per approved PIP	Expenditure during the Financial year.		Total Expenditure	Remark about likely expenditure
		For which Utilization Certificate Received	For which Utilization Certificate not Received		
1	2	3	4	5	6
I	109	एल.एफ.ए./प्रशा/07–08/975,976 दिनांक 26.07.2007	-	90.86854	Freezed
II	60.00		-	0.0	
III	120.22	एल.एफ.ए./प्रशा/यूरो/469 दिनांक 29.04.2011	-	50.49128	
IV					
V					
VI					
Adjusted	130.22	एल.एफ.ए./प्रशा/यूरो/दिनांक 17/04/2012 रू. 112.81140	-	112.81140	1. राशि रू. 87.85083 लाख कम्प्यूटर नोटबुक सह उपकरण क्रय में व्यय। 2. राशि रू. 15.21057 लाख साफ्टवेयर विकास हेतु एन.आई.सी.एस.ई.आर.व्ही. इनकारपोरेटेड नई दिल्ली को भुगतान । 3. राशि रू. 9.75 लाख अधिकारी कर्मचारीगण के प्रशिक्षण में व्यय।
2013-14		एल.एफ.ए./प्रशा/यूरो/187 दिनांक 17/05/2013 रू. 15.66 लाख	-	34.80	वर्ष 2013–14 में शासन के पत्र क्र. 110/एल 13–1/2011/वित्त/बजट–4 रायपुर दिनांक 23.04.2013 द्वारा राशि रू. 35.05 लाख बजट विमुक्त किया गया है। विभाग में प्रक्रियाधीन साफ्टवेयर विकास हेतु एन.आई.सी.एस. आई. को 01 सीनियर प्रोग्रामर एवं 04 प्रोग्रामरों का आंशिक अग्रिम पारिश्रमिक राशि रू. 34.80 लाख भुगतान किया गया।
2014-15	0.24878	-	-	-	
2015-16	74.76608	-	-	-	DIF द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त आबंटन 74.51730 एवं पूर्व कार्ययोजना की अवशेष राशि रू. .24878 का योग।
Total	363.7373	-	-	288.97122	

12. *अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण :–*

विगत 5 वर्षों में विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय व्यय पर छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन अकादमी तथा राज्य से बाहर प्रशिक्षण का लाभ दिया गया है। विगत वर्षों में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विषय निम्नानुसार थे :–

स.क्र.	प्रशिक्षण के विषय
1	Zero base and out come budgeting for fanicial ex
2	तनाव प्रबंधन
3	Motivational Behavioral Skills in Govt.
4	Roles and Duties of OIC in Court Cases
5	Budgeting and Accounting Procedure
6	शासन के प्रेरणा एवं उत्पादकता
7	Gender Budgeting and Empowerment of women
8	Desaster Management
9	Urban Admonistration and Planing
10	व्यवहार मूलक कौशल
11	Good Governance
12	Office Procedure and service matters
13	Court Procedure
14	Reservation in Service
15	सूचना का अधिकार
16	Finanical Management
17	Empowerment of SC/ST
18	Value Admonistration

13. राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन :–

छ0ग0 शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1168/2333/2013/स्था/ चार नया रायपुर दिनांक 03.08.2013 का कृपया अवलोकन हो।

पत्र में द्वितीय राज्य वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित वर्ष 2012–17 के लिये दिये गये प्रतिवेदन के साथ स्थानीय निधि संपरीक्षा से संबंधित अनुशंसित पत्र पृ.क्र. 7 के बिन्दु सरल क्रमांक– 45, 46, 47, 48 एवं 50 के कंडिका कं.107 एवं पृ.क्र. 11 के सरल क्रमांक–81, 82 एवं 83 के कंडिका कमांक 14.67 में उल्लेखित अनुसार कार्यवाही करने हेतु अभिलिखित किया है। स्थानीय निधि संपरीक्षा संबंधी कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

अ. <u>पंचायती राज संस्थाएं :–</u> पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में आयोग का प्रतिवेदन, राज्य शासन का निर्णय एवं संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा कृत कार्यवाही/ प्रस्ताव का विवरण के पृष्ठ क्रं 7 में उल्लेखित सरल 45, 46, 47, 48 एवं 50 के 10.7 अनुसार निम्नलिखित हैः–

स.क्रं	सरल व कंडिका क्र.	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा	राज्य शासन का निर्णय
1.	45/10.7	स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग पंचायती राज संस्थाओं विशेषकर ग्राम पंचायतों जिनकी संख्या बहुत है तथा नगरीय स्थानीय निकायों का अंकेक्षण वर्तमान में स्वीकृत व उपलब्ध सीमित अमले से करने में समर्थ नहीं हैं। अतएव इस संस्था के स्वीकृत विभागीय ढांचे का पुनरीक्षण करके समयबद्ध तरीके से इसे मजबूत किया जाना आवश्यक है।	अनुशंसा को मान्य किया गया। समय बद्ध तरीके से पंचायतों एवं नगरीय निकायों का आडिट कराया जाएगा।
2.	46/10.7	अंकेक्षण के पुराने बकाया मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए जिसमें आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारी सांविधिक अंकेक्षणों की सहायता करें। इसके लिए स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकती है।	अनुशंसा को मान्य किया गया।
3	47/10.7	राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में पंचायतों के अंकेक्षण के लिए अलग से एक अनुभाग बनाये जाने पर विचार किया जाए।	अनुशंसा को मान्य किया गया।
4	48/10.7	पंचायत अंकेक्षकों के संवर्ग का स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में संविलियन किया जाना उचित होगा।	अनुशंसा को मान्य किया गया।
5	50/10.7	राज्य सरकार स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को अंकेक्षण कार्य में तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक से सक्रियतापूर्वक पहल करे तथा उनसे स्थानीय निकायों का टेस्ट आडिट भी कराया जाना है।	अनुशंसा को मान्य किया गया। महालेखाकार छ.ग. एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से अनुरोध किया जाएगा।

ब. स्थानीय नगरीय निकाय :–

स्थानीय नगरीय निकायों के संबंध में आयोग का प्रतिवेदन, राज्य शासन का निर्णय एवं संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा कृत कार्यवाही/ प्रस्ताव का विवरण में उल्लेखित सरल क्रं. 81 से 84 के कंडिका 14.67, 14.68, 14. 70, 14.71 अनुसार निम्नलिखित हैः–

स.क्रं	सरल व कंडिका क्र.	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा	राज्य शासन का निर्णय
6.	81/14.67	नगरीय प्रशासन में वित्तीय जवाब देही जाने के लिए इन निकायों को निर्धारित समय सीमा में अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण करना।	अनुशंसा को मान्य किया गया।
7.	82/14.68	राज्य सरकार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और कम्प्यूटरीकरण के जरिए स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को मजबूत बनाये। अंकेक्षण आपत्तियों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जायें। इसमें विलम्ब होने से अंकेक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। और लोगों का विश्वास प्रभावित होता है।	अनुशंसा को मान्य किया गया।
8	83/14.70	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा निदेशक के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।	अनुशंसा को मान्य किया गया।

16. तेरहवें (13वें) वित्त आयोग का प्रतिवेदन :–

स्थानीय निकायों के विषय में 13 वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन अध्याय 10 स्थानीय निकाय के अंकेक्षण संबंधी 13 वॉ वित्त आयोग (2010–15) शहरी निकायों की लेखा परीक्षा के संबंध में सामान्य निष्पादन अनुदान के लिए प्रोत्साहन संरचना 10.161 (ii) एवं पैरा 10.167 अनुसार क्षमता निमार्ण कर कार्मिकों की संख्या बढ़ाकर स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग को सही ढंग से मजबूती प्रदान करने के लिए अनुशंसा की गई है । स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग अंकेक्षण के सुसंगत 13 वॉ वित्त आयोग के प्रतिवेदन पैरा निम्नानुसार हैं :–

1. पैरा 10.24 – 11 वें वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा अनुदानों का लगभग 8 प्रतिशत दिनांक 06.11.2009 की स्थिति में आहरित नहीं किया गया था। प्रतिवेदन के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत न किए जाने के कारण है। इस कमी के लिए स्थानीय निकाय द्वारा लेखों के अनुरक्षण का अभाव और अपने लेखे लेखापरीक्षण कराने में उनकी ढीलीवृत्ति जिम्मेदार है। स्थानीय निकायों के लिए ऐसे आंकड़ाधार के सृजन और अनुरक्षण की आवश्यकता को प्रबलित करता है जिसमें उनके संसाधन, प्रचालन और वित्तीय निष्पादन संकेतक शामिल है इसको एक आधार के रूप में प्रयोग कर के, लेखों को तैयार किया जा सकता है। जिन्हे फिर नियमित रूप से लेखापरीक्षा किया जा सकता है।

2. पैरा 10.34– 12 वें वित्त आयोग ने उन 14 सर्वोत्तम पद्धतियों का अभिज्ञात किया है, जिन्हे पंचायती राज संस्थाएं अपना सकती है, जिनमें कराधान शक्तियों का वर्धन, प्रयोक्ता प्रभार लगाना, समय पर राज्य वित्त आयोग का गठन तथा लेखों का नियमित अनुरक्षण और लेखा परीक्षा शामिल है।

3. पैरा 10.66–प्रशासनिक सुधार आयोग ने पंचायतों की शंक्तियों तथा प्राधिकार को बढ़ाने के प्रक्रिया के समानान्तर पंचायतों की जवाबदहिता को बढ़ाने के महत्व का उल्लेख किया है। इसने संबंधित राज्य पंचायती तथा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके अन्य निकायों के लिए एक पृथक लोकपाल का संगठन करने के अलावा स्थानीय निकायों में लेखा परीक्षा समितियों के साथ–साथ राज्य विधायिका में स्थानीय निकायों के लिए एक पृथक स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव किया है जो C&AG की रिपोर्ट पर विचार करेगी।

4. पैरा 10.67–लेखाकरण तथा लेखापरीक्षा के मामले में एसआरसी ने सभी राष्ट्रीय निगम लेखा संहिता को पृष्ठांकित किया है। इसनें शहरी स्थानीय निकायों के लेखा की लेखा परीक्षा पर सी एडं एजी का अधिराज्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है चाहे यह कार्य आरंभतः अन्य अभिकरणों द्वारा किया जाना हो। इसमें विद्यमान व्यवस्थाओं, जिसके तहत C&AG PRI तथा ULB के लेखा अनुरक्षण तथा लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध कराता है, के संस्थानीकरण की तथा साथ ही राज्य सरकार स्तर पर निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को कार्यात्मक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसने प्रस्ताव किया है कि एफसी अनुदान स्थानीय निकायों को तभी निर्मुक्त किए जाएं जब राज्य सरकारें C&AG की TG&S स्वीकार कर लें।

5. पैरा 10.71–स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने तथा राजस्व संग्रहण एवं केन्द्रक सिविक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके लिए एक सांविधिक आदार की व्यस्था करना है, तथा साथ ही साथ एक औपचारिक लेखापरीक्षा तथा जवाबदेह प्रक्रम के माध्यम से जवाबदेहिता की आवश्यकता पर जोर देना है।

6. पैरा 10.72–लेखाकरण तथा लेखापरीक्षा से संबंधित अनुशंसाओं जैसी एसएआरसी की अन्य अनुशंसाएं तथा एसएफसी के निष्पादन में सुधार को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। समरूप अनुशंसाएं जिनके लिए सांविधानिक परिवर्तन अपेक्षित नहीं है किन्तु उन्हे क्रियान्वित भी नहीं किया गया है।

7. पैरा 10.77–(v) पीआरआई को लेखों का अर्थपूर्ण संकलन करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए इसमें लेखाकरण प्रारूपों तथा मानकों का सुदृढ़ीकरण, जिससे उनके लेनदेन का समुचित, लेखाकरण सुकर हो तथा साथ ही लेखाकरण, लेखा परीक्षा निष्पादन संपरीक्षा, निधियन एवं मॉनिटरिंग कार्यों को सम्बद्ध करते हुए एक इंटरएक्टिव इलेक्ट्रानिक नेटवर्क का निर्माण करना शामिल होना चाहिए।

8. पैरा 10.93– 11 वें एवं 12 वें एफसी तथा 13 वें एफसी को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत स्थानियों के राजस्व तथा व्यय के संबंध में डाटा में महत्वपूर्ण अनिरंतरताएं हैं। स्थानीय निकायों के संबंध में उपलब्ध कराए गए डाटा को स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने में असमर्थ रहे हैं। एक ऐसी प्रणाली सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है जहां स्थानीय निकायों का वित्तीय तथा निष्पापदन डाटा लेखा परीक्षित तथा उसकी विश्वासपूर्वक पुष्टि की जा सके। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए राजकोषीय संबंधी आंकड़ों का वित्त आयोग द्वारा राज्य वित्त लेखे के संदर्भ में सत्यापन किया जा रहा है। स्थानीय निकायों से संबंधित डाटा के लिए भी इसी प्रकार की प्रणाली सुव्यवस्थित की जानी आवश्यक है।

9. पैरा 10.94–11 वें एफसी द्वारा आंकड़ाधार का अनुरक्षण करने, तथा साथ ही लेखों को अद्यतन करने की आवश्यकता को 10 वर्ष एवं 12 एफसी द्वारा 5 वर्ष बीतने के बाद भी स्थिति में बहुत कम सुधार परिलक्षित हुआ है। हालाकि आयोग आकड़ाधारों, लेखों तथा लेखा परीक्षा के मुद्दे पर पूर्ववर्ती आयोगों की अनुशंसाओं को स्वीकारते, मानते, तथा समर्थित करते हैं।

10. पैरा 10.97– एक अंतरण सूचकांक का सृजन करने के लिए एनसीएईआर के माध्यम से पीईएआईएस की पहल महत्वपूर्ण है। पंचायती कार्यों, वित्त साधनों तथा पदाधिकारियों संबंधी डाटा एनसीएईआर द्वारा सीधे राज्य सरकारों से एकत्रित किया गया था। वित्त साधनों के डाटा में सम्मिलित हैं –

–करों का संग्रहण करने लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन,
–एसएफसी रिपोर्टों का क्रियान्वयन,
–योजनाएं तैयार करने लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन,
–राज्य बजटों में पृथक संबद्ध मदों की विद्यमानता,
–स्थानीय निकायों की प्रतिशतता जिनके लेखों की लेखा परीक्षा की गई है,
–व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वयं का राजस्व,
–कुल आयोजना,
–आयोजनाभिन्न अनुदानों के प्रतिशत के रूप में अनाबद्ध निधियां,

11. पैरा 10.111–पंचायत राज संस्थाओं के लिए सी एंड एजी तथा पंचायती राज मंत्रालय ने एक आदर्श पंचायती लेखाकरण प्रणाली को अंतिम रूप दिया है। जिसे पहली अप्रैल 2010 से शुरू किया जाना प्रस्तावित है। सभी राज्य आदर्श पंचायत लेखाकरण प्रणाली के साथ सुसंगत एक लेखाकरण ढांचा तथा कुटीकरण ढांचा अपनाए।

12. पैरा 10.112–राज्य स्तर पर बजट आबंटन की उचित मानिटरिंग तथा टीआरआई के लेखा का समेकन करने के लिए राज्यों को प्रत्येक जिला/जनपद/ग्राम पंचायत को विशिष्ट कूट आबंटित करने होंगे।

13. पैरा 10.112–नगरीय शहरी स्थानीय निकाय के लिए सी एंड एजी तथा शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा संहिता तैयार की गई है। जिसे पहली दिसम्बर 2004 परिचालित किया गया है। इससे शहरी स्थानीय निकाय में समस्त वित्तीय सूचना का अभिग्रहण सुकर बनाती है।
14. पैरा 10.116–राज्यों को सभी शहरी निकायों में एक लेखाकारण ढांचा क्रियान्वित करना चाहिए, जो एनएमएएम सुझाए गए लेखाकरण प्रारूप एवं कुटीकरण पेटर्न से सुसंगत हो।

15. पैरा 10.117–स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा तथा जवाबदेहिता पैरा के तहत 11 वॉ एफसी ने लेखों के अनुरक्षण के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टीजी एण्ड एस) तथा लेखा परीक्षा का कार्य सीएजी को सौंपा जाना था, टीजी एण्ड एस के संगठकों में ये शामिल है।

(i) लेखापरीक्षा मानदण्डों का निर्धारण तथा लेखा परीक्षा आयोजना,

(ii) बेहतर लेखा परीक्षा प्राविधियों को अपनाना,

(iii) लेखा परीक्षा तथा लेखों में प्रशिक्षण,

(iv) यादृच्छिक चयन द्वारा वार्षिक लेनदने लेखा परीक्षा एवं स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के राज्य निदेशक द्वारा लेखा परीक्षित संस्थाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा।

16. पैरा 10.121–आयोग स्थानीय निकायों के वित्तीय निष्पादन संबंधी विश्वसनीय डेटा प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। अनेक पंचायती राज तथा शहरी निकाय अद्यतन तथा लेखे परीक्षित लेखों का अनुरक्षण करते हैं, अधिकांश ऐसा करने में असमर्थ है। यदि स्थानीय निकाय के लेखे सभी राज्यों में एक समान तरीके में नियमित आधार पर, तैयार तथा लेखा परीक्षित किए जाएं इस कारण से यह आवश्यक है कि सीएजी को सभी राज्यों के लिए स्थानीय निकायों के लिए टीजी एण्ड एस सौंप दिए जावें। यह सभी राज्यों में स्थानीय निकायों के लिए लेखाकरण प्रारूपों के मानकीकरण का एक अनिवार्य परिणाम भी होगा इसके अतिरिक्त सीएजी की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ–साथ स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो इसे संगत विधान पुरः स्थापित करके सांस्थानिक किया जाना आवश्यक होगा।

17. पैरा 10.122–हालांकि उक्त व्यवस्था लेखों की लेखा परीक्षा विश्वसनीय आवश्वासन उपलब्ध कराएगी, स्थानीय निकाया प्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक लापरवाही की शिकायतों की जांच के लिए कोई स्वतंत्र प्राधिकरण अधिकांश राज्यों में अभी भी सुव्यवस्थित नहीं है।
18. पैरा 10.143–स्थानीय निकायों को अनुदान के अनुक्रम में ग्रामीण के साथ–साथ शहरी स्थानीय निकायों के वित्त साधनों को बढ़ावा देने की निश्चय ही बड़ी जरूरत है। सभी स्थानीय निकायों को उनके अपने कर–राजस्वों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त अन्य प्रवाहों के अतिरिक्त राजस्व के निश्चित और सक्रिय स्त्रोतों जो मौजुदा स्तरों से काफी अधिक हो के जरिए मदद दिए जाने की जरूरत है। इसके साथ–साथ स्थानीय निकायों को अपने कार्यों के निर्वहन में अधिक जवाबदेह भी बनाया जाना चाहिए। उनके लेखा विवरण ओर लेखा परीक्षा अद्यतन होनी चाहिए।
19. पैरा 10.161–सामान्य निष्पादन अनुदान के लिए प्रोत्साहन संरचना –राज्य सरकार अनुबंध 10.15 ख में दिखाए गए सामान्य निष्पादन अनुदान के अपने हिस्से को तभी आहरित करने के लिए पात्र होगा यदि वह नौ शर्तों का पालन करे इन शर्तों को वित्त वर्ष के अंत (31 मार्च) तक अवश्य पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य अगले वित्त वर्ष के निष्पादन अनुदान को आहरित करने का पात्र हो सके। निम्नलिखित 9 शर्तों के अध्यधीनः–

(i)–राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के लिए बजट दस्तावेज की अनुपूरक सामग्री तैयार की जानी चाहिए। 10.116 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों से लेखा विवरण रखने की भी अपेक्षा करनी चाहिए। इस शर्त के अनुपालन को दर्शाते हुए, राज्य सरकार को (क) बजट दस्तावेज की संगत अनुपूरक सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। (ख) यह प्रमाणित करना चाहिए कि सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में यथा अनुशंसित लेखाकंन प्रणालियां शुरू कर दी गई है।

(ii)– राज्य सरकार को 10.121 अनुसार सभी स्थानीय निकायों के लिए लेखापरीक्षा व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। C&AG को राज्य में प्रत्येक टियर/श्रेणी में सभी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पर TG&S एस दी जानी चाहिए। और उसकी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तथा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। C&AG से प्राप्त प्रमाणन इस शर्त के अनुपालन को दर्शाएगा।

(iii)– राज्य सरकार को स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकपाल की व्यवस्था कराई जानी चाहिए जो स्थानीय निकायों के कर्मचारियों अधिकारियों एवं निर्वाचित सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतों की जांच करें तथा उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करें।

(iv)– राज्य सरकारों को ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहिए जिससे इस आयोग द्वारा दिए गए स्थानीय निकाय के अनुदान केन्द्र सरकार से उनकी प्राप्ति के पांच दिन के भीतर ही संबंधित स्थानीय निकाय को इलैक्ट्रानिक रूप से अंतरित कर दिए जाएं।

(v)– राज्य वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्तियों की अर्हताओं को एक अधिनियम के जरिए निर्धारित करना चाहिए।

(vi)– स्थानीय निकायों को संपत्ति कर लगाने में पूरी तरह समर्थ होना चाहिए।

(vii)– राज्य सरकारों को राज्यस्तरीय सपंति कर बोर्ड स्थापित करना चाहिए।

(viii)– शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ''सेवा स्तर के मानकों से संबंधित पुस्तिका'' में उल्लेखित संकेतकों के लिए चार सेवा क्षेत्रों–जलापूर्ति, मलजल व्यवस्था, वर्षाजल की निकासी, ठोस अवशिष्ठ पदार्थ के प्रबंधन के संबंध में वित्त वर्ष के अंत 31 मार्च तक सेवा मानक राजपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए।

(ix)– एक मिलीयन से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आग के खतरे से निपटने की व्यवस्था कायम करेंगे। राजपत्र में योजनाओं के प्रकाशित की जानी चाहिए।

20. पैरा 10.162–कोई भी राज्य अपना विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान तभी आहरित कर सकेगा यदि वह निम्न शर्तें पूरी करता हो :–

(i)– यह अपने बजट दस्तावेजों की पूरक सामग्री में पैरा 10.110 में लिखत ब्यौरे का जिक्र करें तथा साथ ही उन एजेंसियों का उल्लेख करे जिन्हे विशेष क्षेत्र बुनियादी एवं निष्पादन अनुदान प्राप्त होगा वे शर्तें भी बताए जिनक तहत वे दिए जाएंगे एवं इन व्ययों की लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया भी बताई जाए। यदि ये एंजेंसिया पंचायतें हैं तो पैरा 10.161 के (i) (ii) (iii) (iv) में उल्लेखित शर्तों का अवश्य पालन किया जाए।

(**ii**)–यदि ये एजेंसियां पंचायतें नहीं हैं तो उन्हे तत्समय प्रवृत्त अनुदेशों के अनुरूप लेखा–विवरण बना कर रखने होंगे। ये लेखा–विवरण अद्यतन होने चाहिए, इनकी लेखा–परीक्षा सीएण्डएजी द्वारा पूरी की जानी चाहिए और जहां भी अधिदेशित हो, लेखा–परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। सी एंड एजी से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए।

(iii)–कम से कम जिला स्तर के निर्वाचित सदस्य/अधिकारियों को पैरा 10.161 के (iii) में उल्लेखित लोकपाल के तहत लाना चाहिए। संबंधित कानून को पारित करने और उसके अधिसूचना किया जाना चाहिए।

(iv)–निर्धारित समय के भीतर निधियों के अंतरण के बारे में पैरा 10.161 के (iv) में दी गई शर्त को भी पूरा किया जाना अपेक्षित है।

21. पैरा 10.166–संपूर्ण पंचवर्षिय अवधि के लिए शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय दोनों के लिए बिना शर्त सहायता देने के लिए एक व्यापक स्तर की व्यवस्था की है। तथापि उन सभी प्रवाहों का देशभर में एक समान संरचना के भीतर हिसाब–किताब व लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

22. पैरा 10.167–आयोग द्वारा परिकल्पित स्थानीय निकायों के लिए जाने वाले अंतरणों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा अपनी लेखापरीक्षा संरचना को मजबूत किया जाना अपेक्षित है। जहां सी एंड एजी तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा, वहीं अधिकांश कार्य स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किया जाना होगा। आयोग की सिफारिश है कि सभी राज्य सरकारें क्षमता निर्माण करके एवं अपने कार्मिकों की संख्या बढ़ाकर अपने स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा विभाग को मजूबती प्रदान करें।

सी.ए.जी. द्वारा प्रदत्त तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण –

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.10.2011 के साथ लेखा परीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 के विनियम 152 के अधीन सी.ए.जी. द्वारा यू.एल.बी. में सुदृढ़ वित्तीय लोक प्रबंधन तथा जवाबदेही के प्रयोजन हेतु यू.एल.बी. के प्राथमिक लेखा परीक्षकों नामतः निर्देशक स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा को उपयुक्त तकनीकी दिशा निर्देश एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। विनियम 152 में दिए गए टी.जी.एस. के मापदण्ड निम्नलिखित है :–

स्थानीय निधि संपरीक्षक प्रत्येक मार्च के अंतक तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना तैयार करेंगे।

डी.एल.एफ.ए. द्वारा यू.एल.बी. की लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित संविधियों तथा सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।

प्रणाली सुधार पर सलाह देने के लिए डी.एल.एफ.ए. द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की जाएगी।

डी.एल.एफ.ए. ऐसे प्रपत्र में विवरण भेजेगा जैसा कि सी.ए.जी. द्वारा सलाह देने एवे निगरानी करने के लिए विहित किया जायेगा।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तकनीकी दिशानिर्देश देने के क्रम में कुल इकाईयों की नमूना जांच करेंगे तथा नमूना जांच के प्रतिवेदन डी.एल.एफ.ए. को कार्यवाही के अनुसरण के लिए भेजे जायेंगे।

कोई भी गंभीर अनियमितता, मौद्रिक मूल्य पर ध्यान दिए बिना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित किया जायेगा।

डी.एल.एफ.ए. अपने संगठन में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करेंगे।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्थानीय निधि सपंरीक्षा कर्मियों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था किया जायेगा।

विधान सभा पटल पर प्रतिवेदन रखा जाना –

वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में हुए वित्तीय संव्यवहारों पर स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन वित्त विभाग द्वारा राज्य के विधान पटल पर दिनांक 17.12.2014 को रखा गया, जिसका संक्षित वित्तरण निम्नानुसार है :–

अ. पंचायत राज संस्थाएँ–

क्र.	कंडिका क्रमांक	आपत्ति का विवरण	आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि (रूपए में)
1	3.1	बजट संबंधी आपत्तियाँ	254	2468872282
2	3.2	बकाया मांग एवं शुल्क/कर जमा नहीं संबंधी आपत्तियाँ	53	3065239
3	3.3	योजना एवं अनुदान संबंधी आपत्तियाँ	317	1827184721
4	3.4	लेखांकन एवं बैंक समाधान संबंधी आपत्तियाँ	157	669013445
5	3.5	वित्तीय स्थिति संबंधी आपत्तियाँ	01	1757900
6	3.6	हानि/क्षति संबंधी आपत्तियाँ	42	2675463
7	3.7	दुर्विनियोजन संबंधी आपत्तियाँ	35	26052856
8	3.8	गबन संबंधी आपत्तियाँ	11	814442
9	3.9	नियमों के उल्लंघन संबंधी आपत्तियाँ	340	38880387
10	3.10	निर्माण कार्य संबंधी आपत्तियाँ	49	92532155
11	3.11	असमायोजित अग्रिम संबंधी आपत्तियाँ	50	19916412
12	3.12	स्थापना संबंधी आपत्तियाँ	09	495758
13	3.13	भण्डार क्रय नियम संबंधी आपत्तियाँ	181	40484415
14	3.14	अभिलेख अप्राप्त संबंधी आपत्तियाँ	73	18719671
15	3.15	अन्य आपत्तियां	176	60557149
योग			1748	5271022295

ब. स्थानीय नगरीय निकाय–

क्र.	कण्डिका क्रमांक	आपत्ति का विवरण	आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि (रूपए में)
1	3.1	बजट संबंधी आपत्तियाँ	40	940044800
2	3.2	बकाया मांग एवं शुल्क/कर जमा नहीं संबंधी आपत्तियाँ	128	180571221
3	3.3	योजना एवं अनुदान संबंधी आपत्तियाँ	63	1067814053
4	3.4	लेखांकन एवं बैंक समाधान विवरण संबंधी आपत्तियाँ	76	234561707
5	3.5	वित्तीय स्थिति संबंधी आपत्तियाँ	02	1045243
6	3.6	हानि/क्षति संबंधी आपत्तियाँ	66	17596128
7	3.7	दुर्विनियोजन संबंधी आपत्तियाँ	02	16704524
8	3.8	गबन संबंधी आपत्तियाँ	30	357672
9	3.9	नियमों के उल्लंघन संबंधी आपत्तियाँ	126	19060200
10	3.10	निर्माण कार्य संबंधी आपत्तियाँ	92	45692193
11	3.11	असमायोजित अग्रिम संबंधी आपत्तियाँ	56	27065523
12	3.12	स्थापना संबंधी आपत्तियाँ	35	17412632
13	3.13	भण्डार क्रय नियम संबंधी आपत्तियाँ	27	13569989
14	3.14	अप्राप्त अभिलेख संबंधी आपत्तियाँ	26	58755287
15	3.15	ऋण संबंधी आपत्तियाँ	07	39552958
16	3.16	अन्य आपत्तियां	64	42706961
योग			**840**	**2722511091**

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में हुए वित्तीय संव्यवहारों पर स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन वित्त विभाग द्वारा राज्य के विधान पटल पर दिनांक 23.12.2015 को रखा गया, जिसका संक्षित वित्तरण निम्नानुसार है :–

अ. पंचायत राज संस्थाएँ–

क्र.	कण्डिका क्रमांक	आपत्ति का विवरण	आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि (रूपए में)
1	3.1	बजट संबंधी आपत्तियाँ	473	11982857451
2	3.2	बकाया मांग एवं शुल्क/कर जमा नहीं संबंधी आपत्तियाँ	89	81315111
3	3.3	योजना एवं अनुदान संबंधी आपत्तियाँ	550	10241127641
4	3.4	लेखांकन एवं बैंक समाधान संबंधी आपत्तियाँ	312	4392832267
5	3.5	वित्तीय स्थिति संबंधी आपत्तियाँ	3	122962811
6	3.6	हानि एवं क्षति संबंधी आपत्तियाँ	59	40154500
7	3.7	दुर्विनियोजन संबंधी आपत्तियाँ	54	21047467
8	3.8	गबन संबंधी आपत्तियाँ	17	2660990
9	3.9	नियमों के उल्लंघन संबंधी आपत्तियाँ	1021	3641862086

क्र.	कण्डिका क्रमांक	आपत्ति का विवरण	आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि (रूपए में)
10	3.10	निर्माण कार्य संबंधी आपत्तियाँ	112	2857005596
11	3.11	असमायोजित अग्रिम संबंधी आपत्तियाँ	45	98664030
12	3.12	स्थापना संबंधी आपत्तियाँ	11	1204123
13	3.13	भण्डार क्रय नियम संबंधी आपत्तियाँ	683	171428835
14	3.14	अभिलेख अप्राप्त संबंधी आपत्तियाँ	208	2540792127
15	3.15	अन्य आपत्तियां	131	49236903
योग			**3768**	**36245151938**

ब. स्थानीय नगरीय निकाय–

क्र.	कण्डिका क्रमांक	आपत्ति का विवरण	आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि (रूपए में)
1	3.1	बजट संबंधी आपत्तियाँ	45	1741703713
2	3.2	बकाया मांग एवं शुल्क/कर जमा नहीं संबंधी आपत्तियाँ	314	1091963980
3	3.3	योजना एवं अनुदान संबंधी आपत्तियाँ	165	6685590733
4	3.4	लेखांकन एवं बैंक समाधान विवरण संबंधी आपत्तियाँ	161	1612624789
5	3.5	वित्तीय स्थिति संबंधी आपत्तियाँ	0	0
6	3.6	हानि/क्षति संबंधी आपत्तियाँ	132	85781326
7	3.7	दुर्विनियोजन संबंधी आपत्तियाँ	18	28489187
8	3.8	गबन संबंधी आपत्तियाँ	45	2094791
9	3.9	नियमों के उल्लंघन संबंधी आपत्तियाँ	367	321050170
10	3.10	निर्माण कार्य संबंधी आपत्तियाँ	315	422002205
11	3.11	असमायोजित अग्रिम संबंधी आपत्तियाँ	76	164163217
12	3.12	स्थापना संबंधी आपत्तियाँ	98	36955246
13	3.13	भण्डार क्रय नियम संबंधी आपत्तियाँ	48	34833355
14	3.14	अप्राप्त अभिलेख संबंधी आपत्तियाँ	41	1584391210
15	3.15	ऋण संबंधी आपत्तियाँ	13	1492801360
16	3.16	अन्य आपत्तियां	81	104707662
		योग	1919	**15409152944**

शिक्षा कर्मियों (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के वेतन निर्धारण सत्यापन का कार्य –

छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 24/2047/2012/स्था/चार नया रायपुर दिनांक 02.01.2013 के अनुसार पंचायत एवं नगरीय निकायों में कार्यरत शिक्षा कर्मियों के वेतन निर्धारण के सत्यापन का कार्य, स्थानीय निधि सपंरीक्षा को सुपुर्द किया गया है। इस आदेश के अनुपालन में संचालनालय स्थानीय निधि सपंरीक्षा के द्वारा अपने 06 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वेतन निर्धारण सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मण्डल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत् प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सत्यापन का कार्य –

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के परिपत्र क्रमांक/1533/एल 11–2/वित्त/2010/बजट–4/चार रायपुर दिनांक 13.10.2011 (वित्त निर्देश 49/2011) अनुसार राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मण्डल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत् प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जांच संचालनालय स्थानीय निधि सपंरीक्षा एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जा रही है।